सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण *12*, शनिवार, *शाके* 1946-अगस्त *03*, 2024 *Sravana 12, Sturday , Saka 1946- August 03, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 03, 2024

जी.एस.आर.19 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"6 अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के लिए समान पात्रता परीक्षा.- अनुसूची-I और अनुसूची-II में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि, वह सीईटी में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में, 5 प्रतिशत तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा।"

[सं. एफ.7(3)डीओपी/ए-2/2021]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, August 03, 2024

G.S.R.19 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) (Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2.Substitution of rule 6.- The existing rule 6 of the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules, 2022 shall be substituted by the following, namely:-

"6. **Common Eligibility Test for Subordinate and Ministerial Services**.- Notwithstanding anything contained in any rule governing direct recruitment to the posts of Subordinate and Ministerial Services mentioned in Schedule-I and Schedule-II, no person shall be eligible to appear in written examination or interview or both conducted for selection to the posts mentioned in Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, if he fails to obtain a minimum of 40% marks in the CET. However relaxation in minimum marks upto 5% shall be available to the candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes."

[No. F. 7(3)DOP/A-II/2021]
By order and in the name of the Governor,

DINESH KUMAR SHARMA,

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।